"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल 2007—चैत्र 12, शक 1929

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.) /पांच (23).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) और (छ) तथा विप्रकृत स्पिरिट नियमों के नियम आठ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/98/2006/वा. कर (आब.) /पांच (89), दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) में आयात फीस रुपये 3.50 प्रति बल्क लीटर (रुपये तीन एवं पैसा पचास) के स्थान पर रुपये 1.50 प्रति बल्क लीटर (रुपये एक एवं पैसा पचास) प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.) /पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/98/2006/वा. कर (आब.) /पांच (23), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F-10/98/2006/CT (Ex.)/V (23).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (g) of sub-section (2) of section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and clause (2) of Rule VIII of the Denatured Spirit Rules, the State Government hereby makes the following amendment in this Department Notification No. F-10/98/2006/CT (Ex.)/V(89), dated 27th October, 2006, namely :-

AMENDMENT

1. In the said notification for sub-clause (a) of clause (2), the Import fee of Rs. 1.50 per bulk liter (Rs. One & Paisa fifty) in place of Rs. 3.50 per bulk liter (Rs. Three & Paisa fifty) shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.